

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 12 (6) साप्र/4/99पार्ट

जयपुर दिनांक २५/३/१७

1. प्रमुख आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।
2. निदेशक सम्पदा निदेशालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, सचिवालय, जयपुर।
4. सहायक सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय, जयपुर।
5. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस, 7-पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
6. प्रबन्धक, जोधपुर हाउस, 25-ओरंगजेब रोड, नई दिल्ली।
7. प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, 13-चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
8. प्रबन्धक, राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई।
9. समस्त प्रबन्धक, ट्रांजिंट होस्टल / सामुदायिक केन्द्र, गांधीनगर, जयपुर।
10. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।

विषयः— माह मार्च 2017 देय अप्रैल 2017 के वेतन बिलों के संबंध में।

सन्दर्भः— वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का पत्र क्रमांक 18324-484 दिनांक

21.03.2017

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 से बजट वर्गीकरण प्लान, नॉन प्लान से बदलकर स्टेट फन्ड एण्ड केन्द्रीय सहायता हो जाने के कारण नये बजट मदों में बजट दिनांक 01.04.2017 को ही उपलब्ध होगा जिसके कारण माह मार्च 2017 देय माह अप्रैल 2017 के वेतन बिल आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.04.2017 से ही बनाये जायेंगे तथा कोषालय/उपकोषालयों द्वारा भी दिनांक 01.04.2017 से ही उन्हें पारित कर ऑनलाइन भुगतान हेतु फाईल तैयार की जायेगी।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि माह मार्च 2017 देय अप्रैल 2017 के वेतन बिल दिनांक 01.04.2017 से ही ऑनलाइन बनाकर संबंधित कोषालय/उपकोषालयों में फॉरवर्ड कराने की व्यवस्था करावें।

संलग्नः— संदर्भित पत्र की प्रति।

भवदीय


(निधि मेहता)
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ- 75)कोष/IFMS/पे- मैनेजर/18324-584

दिनांक 21/03/2017

विभागाध्यक्ष
समरत।

विषय:- माह मार्च 2017 देय माह अप्रैल 2017 के वेतन बिलों के संबंध में।

महाद्वय,

(वित्तीय वर्ष 2017-18 से बजट वर्गीकरण प्लान, नॉन प्लान से बदलकर - State Fund and Central Assistance हो जाने के कारण नये बजट मदों में बजट दिनांक 01.04.2017 को ही उपलब्ध होगा जिसके कारण माह मार्च 2017 देय माह अप्रैल 2017 के वेतन विल आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.04.2017 से ही बनाये जायेंगे तथा कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा भी दिनांक 01.04.2017 से ही उन्हें पारित कर ऑनलाइन भुगतान हेतु फाइल तैयार की जायेगी।)

अतः इस राबंध में अधीनरथ आहरण वितरण अधिकारियों को माह मार्च 2017 देय माह अप्रैल 2017 के वेतन विल दिनांक 01.04.2017 से ऑनलाइन बनाकर संबंधित कोषालय/उपकोषालय को फॉरवर्ड कर हार्डप्रति भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध है।

भवदीय

(आशुतोष वाजपेयी)

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ- 75)कोष/IFMS/पे- मैनेजर/18485-584

दिनांक 21/03/2017

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. कोषाधिकारी समरत को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च 2017 देय माह अप्रैल 2017 के वेतन बिलों को प्राथमिकता के आधार पर पारित कर ऑनलाइन भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अतिरिक्त निदेशक (आईटी.) वित्त विभाग सचिवालय को वित्त विभाग की राईट पर अपलोड करने हेतु।
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव